Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat
دفتر صدر مجلس انصاراللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सैय्यदना ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **08.07.16** बैतुल फ़तूह लंदन।

अल्लाह तआला की कृपा से हिन्दुस्तान में अब जमाअत का परिचय भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो रहा है परन्तु जो काम करने वाले हैं, जो वाक़फ़ीन-ए-ज़िन्दगी (जीवन समर्पित) हैं तथा मुरब्बी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी अपने प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है। मारें भी पड़ती हैं, विरोध भी होता है परन्तु इसके बावजूद हमने विवेक के साथ अपनी तबलीग़ के काम को आगे बढ़ाना है।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

इस समय मैं हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु के हवाले से कुछ बातें पेश करुंगा जो अपने अन्दर एक नसीहत और शिक्षा रखती हैं। कुछ बातें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आपने बयान फ़रमाई हैं। पहली बात तबलीग़ के संदर्भ में है जिसमें हज़रत मुस्लेह मौऊद ने देश विभाजन के पश्चात क़ादियान की जमाअत को जलसा सालाना के अवसर पर यह पैग़ाम भेजा था, इसमें ध्यान दिलाया था कि आप लोगों का काम है कि तबलीग़ करें और इस विषय पर बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। निःसन्देह अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इलहाम के द्वारा यह फ़रमाया था कि मैं तेरी तबलीग़ को दुनया के किनारों तक पहुंचाऊँगा परन्तु इसके साथ ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी जमाअत के लोगों को तबलीग़ की ओर ध्यान दिलाया है कि मेरी किताबों से ज्ञान भी प्राप्त करो तथा तबलीग़ करो, जिस प्रकार आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तबलीग़ किया करते थे।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु के पैग़ाम का अंश पेश करता हूँ जो तबलीग़ के बारे में था। क़ादियान में अहमदियों की सीमित संख्या एंव साधन होने के बावजूद इस महत्त्व पूर्ण दायित्व की ओर आपने ध्यान दिलाया है और दर्वेशों को उत्साहित भी किया है तथा उनके प्रोत्साहन के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आरम्भिक ज़माने का उदाहरण दिया। आप फ़रमाते हैं- निःसन्देह आपकी संख्या क़ादियान में तीन सौ तेरा है परन्तु आप इस बात को नहीं भूले होंगे कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क़ादियान में ख़ुदा तआला के बताए हुए काम को शुरु फ़रमाया था तो उस समय क़ादियान में अहमदियों की संख्या केवल दो तीन थी। तीस सौ आदमी निःसन्देह तीन से अधिक होते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के समय क़ादियान की जन संख्या ग्यारह सौ थी। ग्यारह सौ और तीन का अनुपात 1/366 होता है अर्थात, एक की तुलना में तीन सौ छयासठ लोग। यदि उस समय जब यह पैग़ाम आप भेज रहे हैं, उस समय क़ादियान की जन संख्या बारह हज़ार मान ली जाए तो उस समय अहमदी जन संख्या का अनुपात शेष क़ादियान के लोगों से 1/36 होता है अर्थात 36 की तुलना में एक अहमदी और पहले एक अहमदी 366 की तुलना में था। इस प्रकार जिस समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरु किया

उस समय की तुलना में आपकी शक्ति दस गुना अधिक है फिर जिस समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरु किया उस समय क़ादियान से बाहर कोई अहमदिया जमाअत नहीं थी परन्तु अब हिन्दुस्तान में भी बीसियों स्थानों पर अहमदिया जमाअतें स्थापित हैं। इन जमाअतों को जागरुक रखना, संगठित रखना, एक नए संकल्प के साथ खड़ा करना तथा इस निश्चय के साथ इन शक्तियों को एकत्र करना कि वे इस्लाम और अहमदियत की तबलीग़ को हिन्दुस्तान के चारों कोनों में फैला दें, यह आप लोगों का ही काम है। सम्भवतः यही अनुपात आजकल की जन संख्या का हो क़ादियान का। यदि अहमदी हज़ारों में हैं तो वहाँ भी संख्या बढ़ी होगी। सुविधाएँ भी पहले से अधिक हैं तथा साधन हमारे, अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से अत्यधिक हैं। अल्लाह तआला की कृपा से हिन्दुस्तान में अब जमाअत का परिचय भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो रहा है परन्तु जो काम करने वाले हैं, जो वाक़फ़ीन-ए-ज़िन्दगी हैं तथा मुरब्बी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी अपने प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है। मारें भी पड़ती हैं, विरोध भी होता है परन्तु इसके बावजूद हमने विवेक के साथ अपनी तबलीग़ के काम को आगे बढ़ाना है। इन्शाअल्लाह। इस बात को विश्व के अन्य देशों को भी अपने सम्मुख रखना चाहिए कि अल्लाह तआला ने तबलीग़ के काम को करने तथा उसके विस्तार का हमें निर्देश दिया है। यह क़ुरआन शरीफ़ का भी आदेश है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही फ़रमाया है। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने यही आदेश दिया था परन्तु हमें इसके लिए और अधिक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है, हर स्थान पर प्रत्येक देश में। ताकि इसके द्वारा इस काम को अधिक फैलाया जा सके और फिर तबलीग़ के साथ उन लोगों को संभालना भी एक बड़ा काम है जो बैअतें करके जमाअत में शामिल होते हैं।

फिर एक घटना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं जो ख़्वाजा कमालुद्दीन साहब के विषय में है कि उन्होंने अपने ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाया था तथा उनके सुन्दर लैक्चरों एंव सम्बोधनों का भेद क्या था। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि ख़्वाजा कमालुद्दीन साहब की सफलता का बड़ा कारण यही था कि वे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पुस्तकों का अध्ययन करके एक लैक्चर तय्यार करते थे फिर क़ादियान आकर कुछ हज़रत ख़लीफ़ः अव्वल से पूछते और कुछ दूसरे लोगों से, और इस प्रकार एक लैक्चर पूरा कर लेते। फिर उसे लेकर हिन्दुस्तान के विभिन्न नगरों का दौरा करते और बड़ी सफलता प्राप्त करते। आप फ़रमाते हैं कि चाहिए भी इसी प्रकार कि जो सम्बोधन कर्ता हों उनको लैक्चर भली भांति तय्यार करके दिए जाएँ और वे बाहर जाकर वही लैक्चर दें इसका परणिाम यह होगा कि सिलसिले के लक्ष्य के अनुसार भाषण होंगे तथा हमें यहाँ बैठे बैठे पता होगा कि उन्होंने क्या बोलना है। मूल लैक्चर वही होंगे, इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय रूप से आवश्यकता हो तो सहायक लैक्चरों के रूप में और कुछ किसी अन्य विषय पर भी बोल सकते हैं।

अतः ये मार्ग दर्शक नियम मुबल्लिग़ों के लिए भी है तथा दाअी इलल्लाह के लिए भी तथा उन लोगों के लिए भी जो ज्ञान की गोष्ठियों में जाते हैं। यदि लैक्चर इस प्रकार तय्यार किया गया हो तो बड़े बड़े प्रोफ़ैसर और कुछ तथाकथित आलिम और कुछ ऐसे लोग जो दीन पर आपत्ति भी करते हैं, वे भी प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जमाअत के लोग जो हैं, अपने मुरब्बियों और मुबल्लिग़ों का इस प्रकार ध्यान नहीं रखते जिस प्रकार रखना चाहिए और इस विषय में कुछ स्थानों से शिकायतें भी आती हैं परन्तु इसके साथ ही यह बात भी मैं कहूँगा कि मुरब्बियों और मुबल्लिग़ों पर यह दायित्व भी है और यह बात उन पर यह दायित्व भी डाल रही

है कि उनको जमाअतों में अपना स्तर क़ायम रखने के लिए ज्ञान एंव रूहानियत के विषय में उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कभी जमाअत के किसी व्यक्ति को उनके सम्बंध में कोई अनुचित बात कहने का साहस न हो। कई स्थानों पर कुछ प्रबन्धन कर्ता मुरब्बियों के विषय में अनुचित बातें कर जाते हैं, जहाँ मुरब्बी सुधार करने का प्रयास करते हैं वहाँ उनके विरुद्ध बातें करना आरम्भ कर देते हैं।

फिर दुआ की क़बूलियत का भेद क्या है तथा इसकी हिकमत को बताते हुए आप फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस प्रकार के निशान दिखाने आए थे तथा ऐसे बन्दे पैदा करना आपका उद्देश्य था जिनकी दुआओं से अल्लाह तआला दुनया में बड़ी बड़ी क्रान्तियाँ पैदा कर दे। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि अल्लाह तआला प्रत्येक दुआ को अवश्य क़बूल कर लेता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साहिबज़ादे मुबारक अहमद का निधन हुआ, मौलवी अब्दुल करीम साहब का निधन हुआ, आपने दुआएँ भी कीं परन्तु उनका देहांत हो गया और यह भी आपका एक निशान है क्यूँकि मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब के विषय में आपने समय से पूर्व ही बता दिया था और जब कोई बात समय से पहले कह दी जाती है तो वह निशान बन जाती है। अतः न तो यह होता है कि प्रत्येक दुआ क़बूल हो जाती है और न ही प्रत्येक दुआ रद्द होती है। हाँ, जो दुआ क़बूल करने का अल्लाह तआला निश्चय करे, वह अवश्य क़बूल होती है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- कुछ छोटे छोटे अन्य वृत्तांत, उदाहरण हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आपने बयान फ़रमाए हैं। उनमें से एक कुबड़ी का उदाहरण है। हज़रत साहब फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक कुबड़ी का उदाहरण दिया करते थे, उसकी कमर पर कूब निकला हुआ था। उससे किसी ने पूछा कि क्या तू यह चाहती है कि तेरी कमर सीधी हो जाए या अन्य लोग भी कुबड़े हो जाएँ? तो जैसा कि कुछ मानसिकताएँ हट्ठी होती हैं, द्वेष भी रखती हैं। उसने आगे से यह उत्तर दिया कि लम्बा समय गुज़र गया मैं कुबड़ी ही रही और लोग मेरे कुबड़ेपन पर हंसते रहे उपहास करते रहे। अब तो यह सीधा होने से रहा, नहीं, कूब मेरा जो है, यह तो ऐसा रहना है अब तो बूढ़ी हो गई हूँ मैं। मज़ा तो जब है कि ये लोग सारे जो हैं, ये भी कुबड़े हों और मैं भी उनपर हंसकर जी ठंडा करूँ। तो अब कहते हैं कि इस प्रकार की कुछ भावनाएँ, द्वेष पूर्ण मानसिकताएँ होती हैं। उन्हें इसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरी कठिनाई दूर हो जाए बल्कि वे यह चाहते हैं कि दूसरा कठिनाई से पीड़ित हो जाए। अतः ऐसे द्वेष पूर्ण लोगों से बचने की भी हमें प्रत्येक को दुआ करनी चाहिए और ऐसे द्वेष से बचने के लिए यह भी दुआ करनी चाहिए कि हमारी भी ऐसे द्वेषियों में गणना न हो जो इस प्रकार की बातें करने वाले हैं।

फिर एक अन्धे की कहावत है। बयान फ़रमाते हुए आपने फ़रमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सुनाया करते थे कि कोई अन्धा था जो रात के समय किसी दूसरे से बातें कर रहा था और एक व्यक्ति की नींद ख़राब हो रही थी। वह व्यक्ति कहने लगा हाफ़िज़ जी, सो जाओ। हाफ़िज़ साहब कहने लगे हमारा सोना क्या है, चुप ही होना है। अभिप्रायः यह था कि सोना आँखें बन्द करने और चुप हो जाने का नाम होता है। मेरी आँखें तो पहले ही बन्द हैं अब चुप ही हो जाना है, और क्या है, तो मैं हो जाता हूँ। तो आप फ़रमाते हैं कि मोमिन के लिए ऐसी प्रस्थितियाँ जो संकट की होती हैं ये कठिनाई का कारण नहीं हो सकतीं क्यूँकि वह कहता है कि मैं तो पहले ही इन प्रस्थितियों का अभ्यस्त था, आदी हूँ। जैसे मोमिन को दुनया मारना चाहती है तो कहता है कि मुझे मार कर क्या लोगे, मैं तो पहले ही ख़ुदा तआला के लिए मरा हुआ हूँ। इस बात के लिए तय्यार हूँ कि जो अल्लाह तआला चाहेगा मैं

करूँगा। उसके लिए मेरी जान हाज़िर है। आप फ़रमाते हैं कि दुनया मौत से घबराती है परन्तु एक मोमिन को जब दुनया मारना चाहती है तो वह तनिक भी नहीं घबराता और कहता है कि मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने इस्लाम क़बूल किया था। अन्तर केवल इतना था कि पहले मैं चलता फिरता मुरदा था तथा अब तुम मुझे धरती के भीतर दफ़न कर दोगे, मेरे लिए कुछ अधिक अन्तर नहीं होगा। तो वास्तविक मोमिन की यह सोच होती है।

फिर एक उदाहरण आप देते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सुनाया करते थे कि एक महिला किसी शादी में शामिल हुई। वह लोभी और कंजूस थी परन्तु उसकी भाभी साहसी थी। साहस से अभिप्रायः यह है कि भेंट देने में साहसी थी। उस महिला ने उस शादी पर एक रुपया भेंट के रूप में दिया परन्तु उसकी भाभी ने बीस रुपए दिए। जब वापस आईं तो किसी ने उस कंजूस महिला से पूछा कि तुमने शादी के अवसर पर क्या ख़र्च किया तो उसने कहा कि मैंने और भाभी ने इक्कीस रुपए दिए हैं। आप फ़रमाते हैं- कुछ लोग हैं, कई जमाअतों में, वे बढ़ चढ़ कर चन्दा देते हैं। उनके विशेष चन्दों को जमाअतों का अपने से सम्बंधित कर देना ऐसा ही है जैसे उस कंजूस महिला का यह कहना कि मैंने और भाभी ने इक्कीस रुपए दिए थे। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं धनवान लोग जो कंजूस होते हैं तथा जमाअत के सामूहिक चन्दों को अपने ओर लगा लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं। यदि अपने से सम्बंधित नहीं करते तो अभिव्यक्त अवश्य करते हैं कि जैसे कि हमारी जमाअत ने इतना दिया है। मानो उनकी जमाअत में सबसे बढ़ चढ़ कर वही चन्दा देने वाले थे। जबकि अधिकांश लोगों की संख्या वह होती है जो निर्धन होते हैं, जिन्होंने चन्दा दिया और धनी लोग इस अनुपात से नहीं दे रहे होते।

एक बार खेल में कुछ अनुचित बातें हुईं, दीन का ध्यान नहीं रक्खा गया, सिलसिले की प्रथाओं का ध्यान नहीं रक्खा गया इस पर संज्ञान लेते हुए आपने फ़रमाया कि देखो हास परिहास करना जायज़ है, वर्जित नहीं है। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हास परिहास किया करते थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी मज़ाक़ करते थे, हम भी कर लेते हैं। हम यह नहीं कहते कि हम हास्य व्यंग नहीं करते। हम सौ बार हास परिहास करते हैं परन्तु अपने बच्चों से करते हैं, अपनी पत्नियों से करते हैं, निकट सम्बंधियों से करते हैं परन्तु इस प्रकार नहीं कि उसमें किसी पर व्यंग का रंग हो। यदि किसी का अपमान हो, उसकी मान मर्यादा प्रभावित हो रही हो तो ऐसा हास्य व्यंग उचित नहीं। यदि मुंह से ऐसी बात निकल जाए जिसमें अपमान का रंग पाया जाता हो तो इस्तिग़फ़ार करते हैं और यह प्रत्येक को करना चाहिए। मैं तुम्हें हंसी से नहीं रोकता, मैं यह कहता हूँ कि हंसी में उस सीमा तक न बढ़ो जिसमें जमाअत की बद-नामी हो। अब दुनया में प्रत्येक स्थान पर केवल जमाअती रूप से भी, केवल क़ादियान अथवा रबवा की बात नहीं है, शेष अन्य स्थानों पर भी खेलें होतीं हैं, जमाअती रूप से आयोजित होती हैं। वहाँ यदि इस प्रकार की बातें होंगी तो कई बार जमाअत बदनाम होती है इस लिए प्रत्येक स्थान पर इन बातों में सावधानी होनी चाहिए।

अतः हमारे कामों में इस बात की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, चाहे वह खेल कूद है अथवा सैर सपाटा है या काव्य गोष्ठियाँ हैं कि हमने जमाअत की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने देनी, उसके सम्मान का सदैव ध्यान रखना है, उसकी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखना है। अतः ये जो कुछ बातें मैंने कही हैं शिक्षाप्रद थीं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।